

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2 / 358-24778 / जोन-जयपुर / 2024 / 14

दिनांक- 8/1/2024

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिको को विदेश यात्रा जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. स.	नाम कर्मचारी एवं पद नाम	पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का स्थान	यात्रा का विवरण
1.	संतरा कुमारी नर्सिंग ऑफीसर	श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह सीकर	दुबई	दि. 14.01.2024 से दि 19.01.2024 तक 06 दिवस

- कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत कराकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होगी।
- विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
- विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगी।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2 / 358-24778 / जोन-जयपुर / 2024 / 14

दिनांक- 8/1/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित समस्त प्रशासनिक / नियंत्रक अधिकारी।
- संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

5268903

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh

Kumar Nawal

Designation: Director

Date : 07-01-2024 05:04:51